

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डूडियों की ढाणी  
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

सताराम पुत्र विरधाराम जाति जाट निवासी  
डूडियों की ढाणी, तहसील एवं जिला  
बाड़मेर।

1. पुष्पेन्द्र पुत्र मंगलाराम 2. देवाराम पुत्र  
मंगलाराम 3. रामू देवी पत्नी मंगलाराम 4.  
रम्भा देवी पत्नी देराजराम 5. कृष्ण कुमार  
पुत्र देराजराम 6. कानाराम पुत्र रामाराम  
7. हनुमानराम पुत्र रामाराम 8. मोबताराम  
पुत्र रामाराम 9. जगराम पुत्र उमाराम 10.  
जैसाराम पुत्र नुकलाराम 11. पुरखाराम  
पुत्र जेताराम 12. पौकरराम पुत्र भैराराम  
13. अचली पत्नी जीयाराम 14. जसराज  
पुत्र जीयाराम 15. ओम प्रकाश पुत्र  
जीयाराम 16. नानगाराम पुत्र खेमाराम 17.  
फूसाराम पुत्र खेमाराम 18. चिमाराम पुत्र  
विरधाराम 19. तोगाराम पुत्र जेटाराम 20.  
नवलाराम पुत्र चिमाराम 21. जगमालराम  
पुत्र चिमाराम 22. रामजीराम पुत्र हीराराम  
जातियान जाट निवासीयान डूडियों की  
ढाणी, बेरीवाला तला, तहसील व जिला  
बाड़मेर 23. खेमाराम पुत्र मूलाराम 24.  
निम्वाराम पुत्र रेखाराम 25. लुम्भाराम पुत्र  
रेखाराम जातियान जाट, निवासीयान  
जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या-95/2019 दिनांक-30.11.2021

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डूडियों की ढाणी, पटवार मण्डल बेरीवाला तला,  
भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर  
1609/969 रकबा 11.00 बीघा, खसरा नंबर 1613/969 रकबा 07.18 बीघा कुल रकबा  
18.18 चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार  
बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व  
प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख  
मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत  
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की  
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार  
पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर  
दिनांक-30/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6469-6472  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी सताराम पुत्र विरधाराम जाति जाट निवासी डूडियों की ढाणी, तहसील एवं जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पुष्पेन्द्र पुत्र मंगलाराम वगैरा जातियान जाट निवासी डूडियों की ढाणी बेरीवाला तला /जालीपा, तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर